

22/5/19

अधिवक्ता वादी गण एवं वादी गण स्वयं अनुपस्थित।  
आज उन्ही अदालत उन्हे तक कर कर आवे लगेवाइ  
गइ परन्तु उनकी ठौर से कोई कदम उपस्थित  
नही कया। उहा वादी गण एवं वादी गण के अधिवक्ता  
अनुपस्थित रहने से प्रकरण अइस एजिरी कदम  
पैरवी के खारिज किया जात है। बिसल फैसला  
शुमार होकर मन्बर से कम हों वाक एक्टर दाखिल  
कौदेश आज सैर खलास शुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)  
उपखण्ड अधिकारी  
मसूदा (अजमेर) राज.

